



- नागरिकों और वदेशियों दोनों पर लागू होता है) तथा [संवधान की प्रस्तावना](#) में नहिती धर्मनरिपेक्षता के सदिधांत का उल्लंघन है।
- **प्रकृता में भेदभावपूरण:** भारत में कई अन्य शरणार्थी हैं जनिमें श्रीलंका के तमलि और म्याँमार के हट्टि रोहगिया शामिल हैं। वे इस अधनियिम के अंतरगत नहीं आते हैं।
  - **प्रशासन में कठनाई:** सरकार के लयि अवैध प्रवासियों और प्रभावति लोगों के बीच अंतर करना मुश्कलि होगा।
  - **द्वपिकषीय संबंधों में बाधा:** यह अधनियिम धार्मकि उत्पीड़न पर प्रकाश डालता है जो काइन तीन देशों में हुआ है और हो रहा है तथा इस प्रकार उनके साथ हमारे द्वपिकषीय संबंध खराब हो सकते हैं।

## आगे की राह

- भारत की एक समृद्ध सभ्यता रही है। इसलियि यह उन लोगों की रक्षा करने का एक नया प्रयास है जनि पर इसके पड़ोस में मुकदमा चलाया जाता है। हालाँकि तिरिके संवधान की भावना के अनुसार होने चाहयि।
- इस प्रकार MHA को CAA नयिमों को अत्यंत पारदर्शति के साथ अधसूचति करना चाहयि और सीएए से जुड़ी आशंकाओं को दूर करना चाहयि।

## स्रोत: द हट्टि

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/citizenship-amendment-act-2019-1>

